II/निग0/रीवा/2018/0340 58

# न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0 सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

301/-

गंगा प्रसाद पयासी तनय स्व0 श्री उग्रसेन पयासी उम्र 67 वर्ष पेशा पेन्शनर व खेती निवासी ग्राम रतहरा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

— निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

स्टेट आफ म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय, रीवा जिला रीवा म0 प्र0

— गैर निगरानीकर्ता

अधि0श्री सुरेश पाठक द्वारा पेश/10-01-18

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्व निर्णय व आदेश दिनांक 17–11–17 जो न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, रीवा सम्भाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 326/अपील/17–18 <u>में पारित किया गया ।</u>

<u>अपील अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0</u>

<u>मान्यवर,</u>

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–17 गलत अनियमित व अवैधानिक एवं विधि प्रकिया के विपरीत, प्रकरण के तथ्यों एवं प्रस्तुत लैखिक दस्तावेज के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायायल ने बिना रिकार्ड देखे तथा बिना रिकार्ड व तर्क पर विचार किए सरसरी तौर पर जल्दबाजी में निगरानीकर्ता की अपील को निरस्त करने में भूल की है।

3– यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचार ही नहीं किया कि आवेदक / अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष खसरा सुधार का उक्त आवेदन पत्र दिनांक 01–02–2006 को प्रस्तुत

(57)

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निग/रीवा/2018/340 — गंगाप्रसाद / मप्र शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 21-06-18 | आवेदक अधिवक्ता श्री सुरेश पाठक उपस्थित। उन्हें कायमी पर सुना गया। प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। निगरानी में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं हाने से अग्राह्य की जाती है।<br><br>सदस्य 21/6/18 | |